



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 चैत्र 1944 (श10)

(सं० पटना 212) पटना, बुधवार, 06 अप्रील 2022

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

05 अप्रील 2022

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022

जी०एस०आर० 03, दिनांक 06 अप्रील 2022—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा 03 एवं धारा 05 सहपठित जी०एस०आर०—213 (अ), दिनांक 20 मार्च 2015 द्वारा भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के द्वारा निर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की कंडिका 15 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित आदेश करते हैं :

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम “बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022” होगा।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
- बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका— 32 (vii) के बाद निम्नलिखित नई कंडिका जोड़ी जायेगी :-

“32 (viii) जिला पदाधिकारी, बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका—32 (i) में प्रदत्त शक्तियाँ जिला में पदस्थापित अपर जिला दण्डाधिकारी से अन्यून पदाधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकेंगे।”

(सं० प्र०4/पी०डी०एस०—01/15(पार्ट)/1622)

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार,

सरकार के सचिव।

The 5th April 2022

Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Amendment Order, 2022

G.S.R. 03, dated the 6th April, 2022--In exercise of power conferred by Section 3 and Section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act 10 of 1955), read with Clause 15 of the Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015, issued by GSR

213 (E) dated 20th March, 2015 by Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution), the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following orders :

1. Short title and commencement (1) This order may be called the "Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Amendment Order, 2022".
(2) It shall come into force from the date of publication in the official gazette.
2. A new Clause after Clause 32 (vii) shall be added in Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016, as follows:
"32(viii). District Officers may delegate the powers conferred to him under Clause 32 (i) of the Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016, to the officers not below the rank of Additional District Magistrate posted in the district."

(No. Pra-04-PDS-01/15(Part) 1622)

By order of the Governor of Bihar,
Vinay Kumar,

Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 212-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>